



CIN No.: U01611UP2023PLC185734

पता :- पीरनगर, गाजीपुर (उ०प्र०)

ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड राष्ट्र के किसानों के सर्वांगीण कल्याण व विकास के लिए किसान दिवस (23 दिसम्बर 2020) से उनके हित में कृत-संकल्पित है। ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड एवं ई-अन्नदाता फाउंडेशन द्वारा अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों ई-अन्नदाता कार्ड सम्मानित पहचान अभियान, ई-अन्नदाता जैविक एवं प्राकृतिक खेती संवर्धन अभियान, ई-अन्नदाता आश्रित बेरोजगारी उन्नमूलन अभियान, ई-अन्नदाता गौरवान्वित अनुभूति अभियान-2047, ई-अन्नदाता गरीबी उन्नमूलन अभियान, ई-अन्नदाता अद्वितीय चिकित्सीय परामर्श अभियान, ई-अन्नदाता मंडी (फसल संवर्धन) कार्यक्रम, ई-अन्नदाता सम्मान मेला, बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर एण्ड फार्मर ग्रीवेंस, तथा ई-अन्नदाता कैंटीन आदि के माध्यम से सस्ते दामों पर उनके दैनिक उपयोग के सामानों के साथ बीज, खाद, मशीनरी की व्यवस्था करना और उस पर 50% तक की सब्सिडी दिलाया जाता है जिससे आने वाले समय में किसान खुद/स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे अर्थात् आने वाले निकट भविष्य में किसानों को गौरव की अनुभूति कराने के लिए ई-अन्नदाता द्वारा प्रदत्त सभी सरकारी व गैर सरकारी योजना का लाभ प्रत्येक किसान को आसानी से उपलब्ध कराना ई-अन्नदाता का मुख्य कार्य है।

ई-अन्नदाता के उद्देश्य

ई-अन्नदाता का उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार की कैंटीन व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, उसी प्रकार की कैंटीन व्यवस्था किसानों को भी उपलब्ध करायी जा सके, जिससे उनके जरूरत का सामान सस्ते दाम पर उपलब्ध हो सके और साथ ही वर्ष 2047 तक किसानों को किसान होने का गौरव प्राप्त हो सके।

ई-अन्नदाता द्वारा संचालित कार्यक्रम व अभियान

1. ई-अन्नदाता कार्ड सम्मानित पहचान अभियान
2. ई-अन्नदाता जैविक एवं प्राकृतिक खेती संवर्धन अभियान
3. अन्नदाता आश्रित बेरोजगारी उन्नमूलन अभियान
4. ई-अन्नदाता गरीबी उन्नमूलन अभियान
5. ई-अन्नदाता अद्वितीय चिकित्सीय परामर्श अभियान
6. ई-अन्नदाता गौरवान्वित अनुभूति अभियान 2047
7. उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम)
8. ई-अन्नदाता मण्डी (फसल संवर्धन) कार्यक्रम
9. ई-अन्नदाता सम्मान मेला
10. बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेंट सर्विस
11. इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर एण्ड फार्मर ग्रीवेंस
12. ई-अन्नदाता कैंटीन
13. मौसम पूर्वानुमान

1. ई-अन्नदाता कार्ड सम्मानित पहचान अभियान

देश के सभी पात्र किसानों को ई-अन्नदाता कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करना, तथा अधिक से अधिक ई-अन्नदाता कार्ड बनवाना साथ ही ई-अन्नदाता कार्ड से मिलने वाले लाभ जैसे- कैंटीन की सुविधा दिलवाना, सभी सामानों पर 50% तक की छुट (सब्सिडी), दुर्घटना बीमा तथा किसानों के बच्चों के लिए देश के अच्छे व बड़े विद्यालय में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराना है।



2. ई-अन्नदाता जैविक एवं प्राकृतिक खेती संवर्धन

किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लाभ के बारे में विस्तार से समझाना, जैविक खेती में उपयोग होने वाले जैविक उर्वरक के आसानी से उपलब्धता के बारे में समझाना तथा प्राकृतिक खेती के तौर-तरीके एवं रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान/हानि से अवगत कराना ही इस अभियान का उद्देश्य है।



3. अन्नदाता आश्रित बेरोजगारी उन्मूलन अभियान

किसानों पर आश्रित बेरोजगारों को उद्यम स्थापित कराना तथा आवश्यक प्रशिक्षण, लोन (ऋण), सब्सिडी, सरकारी एवं गैर-सरकारी सभी प्रकार के योजनाओं द्वारा लाभ दिलाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करना है।



4. ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान

देश के किसानों को अब गरीबी, पिछड़ापन व असहाय जीवन व्यतीत करना नहीं पड़ेगा। ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत ई-अन्नदाता कार्ड के माध्यम से किसान भाइयों को कम कीमत पर अच्छे व ब्रांडेड सामान उपलब्ध कराने के लिए जागरूक करते हैं तथा किसानों के उत्पाद को समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य पर बिकवाना, जैविक खेती के माध्यम से किसानों को जैविक उत्पाद की पैदावार करने के लिए प्रेरित करना और उसे अधिकतम एवं उचित मूल्य पर बिकवाना, स्मार्ट फार्मिंग का प्रशिक्षण करा कर नए तरीके से नए फसल की खेती करना, किसान के बेरोजगार आश्रितों को उद्यम स्थापित कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, ऋण तथा सब्सिडी उपलब्ध करा कर उन्हें स्वावलंबी बनाना, ई-अन्नदाता द्वारा स्थापित मंडी में किसानों का सामान बेचने के लिए प्रेरित करना आदि कार्य से किसानों को सीधे तौर पर फायदा दिलवाना जिससे उनकी आय में वृद्धि तथा उनकी गरीबी दूर होगी।



5. ई-अन्नदाता अद्वितीय चिकित्सीय परामर्श अभियान

देश के बड़े व अत्याधुनिक, विश्वसनीय व जाने-माने हॉस्पिटल के अनुभवी डाक्टरों द्वारा किसानों व उसके परिवारजनों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा की सुविधाएँ उनके नजदीकी केन्द्रों (सर्विस ब्रांच) के माध्यम से किसानों को दिलाने में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है। दिल्ली, गुडगाँव, चेन्नई, मुम्बई, बेंगलुरु आदि जैसे बड़े शहरों के विभिन्न प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ डाक्टरों के टीम द्वारा प्रत्येक गरीब, जरूरतमंद व असहाय किसान परिवारों को चिकित्सीय परामर्श सुविधा लागत मूल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध कराना ई-अन्नदाता का मुख्य उद्देश्य है।



6. ई-अन्नदाता गौरवान्वित अनुभूति अभियान 2047

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की दो-तिहाई से अधिक आबादी कृषि पर आश्रित है। कृषि मात्र मानव जीवन का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व का मूलाधार है। सभी औद्योगिक क्षेत्र, पशु पालन, पर्यावरण आदि कृषि पर ही निर्भर है। खेत में काम करने वाला किसान मात्र अपने परिवार के लिए ही नहीं वरन् पूरी विश्व वसुधा के भरण पोषण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। किसान को यदि हम इस संसार का भगवान कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज सभी लोग कहीं न कहीं कृषि से जुड़े हैं। चाहे कोई बड़ा उद्योग हो, होटल रेस्टुरेन्ट हो या फिर कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों न हो कृषि और किसान सभी को पोषित करता है। ई-अन्नदाता गौरवान्वित अभियान-2047, के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम देश के किसानों को गौरव की अनुभूति कराने व जन सामान्य में किसानों के प्रति सम्मान का भाव जगाने के लिए तत्पर है। हमारा प्रयास है की किसान स्वयं को दीन अथवा असहाय न समझे उन्हें गौरव की अनुभूति हो कि वे ही सम्पूर्ण मानवता के पोषक व मुख्य सहयोगी है।

किसी व्यक्ति का किसान होना बड़ी बात ही नहीं बल्कि उसकी खुशकिस्मती, सौभाग्य, यश व गौरव की बात है क्योंकि किसान के बिना हमें निःशुल्क मिलने वाली वे चीजें जो जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है जैसे-नींद, शान्ति, सुकून, उम्मीदें और तो और सबसे ज्यादा इंसान की सांसे, क्योंकि भूखे पेट इसमें से कुछ भी नसीब नहीं होता है।



7. उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम)

राष्ट्र को विकसित करने के लिए हर घर में कम से कम एक उद्यम स्थापित करने हेतु उद्यम भारत अभियान (हर घर उद्यम) संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर घर में कम से कम एक उद्यम स्थापित कराना है जिसके लिए प्रत्येक घर के शिक्षित बेरोजगारों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत आवश्यक प्रशिक्षण, लोन (ऋण), सब्सिडी तथा उद्यम स्थापित करने के तौर-तरीकों से अवगत कराना है।



8. ई-अन्नदाता मण्डी (फसल संवर्धन) कार्यक्रम

किसान के फसल को ई-अन्नदाता मण्डी के माध्यम से सीधे वृहद स्तर के व्यापारियों को अच्छे मूल्य पर बिकवाने से उनकी आय में प्रत्यक्ष तौर पर वृद्धि होती है इसके लिए किसानों को ई-अन्नदाता मण्डी में अपनी फसलों को बेचने हेतु प्रेरित करना ही ई-अन्नदाता का उद्देश्य है।



9. ई-अन्नदाता सम्मान मेला

देश के प्रत्येक जिले में जिला अथवा क्षेत्र स्तर पर ई-अन्नदाता सम्मान मेला का आयोजन करना जिसमें किसानों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आधुनिक खेती की जानकारी, तौर-तरीका प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट किसानों को पुरस्कार दिलाना आदि कार्य हेतु अपने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करना ही ई-अन्नदाता सम्मान मेला का उद्देश्य है।



10. बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेंट सर्विस

अपने क्षेत्र के पात्र किसानों को बैंक से सम्बन्धित सभी जानकारी व बैंको में खाता खोलवाना, लोन दिलवाना, इंश्योरेंस आदि वित्तीय सुविधा दिलाने में मदद करता है।



11. इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर एण्ड फार्मर ग्रीवेंस

किसानों के ई-अन्नदाता से सम्बन्धित किसी भी समस्या अथवा सुझाव के लिए इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर के माध्यम से किसानों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अब किसान को मिलेगा 'एक कॉल पर पूरा समाधान' इसके लिए ई-अन्नदाता कंपनी सदैव तत्पर रहती है।



12. ई-अन्नदाता कैंटीन

अपने क्षेत्र के किसानों को बेहतरीन ढंग से उनके नजदीकी स्तर पर कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसके लिए अपने क्षेत्र के अच्छी दुकानों को (जो सरकार से पंजीकृत हो) ई-अन्नदाता कैंटीन में परिवर्तित होने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होंगे तथा उन दुकानों को ई-अन्नदाता कैंटीन में परिवर्तित होने से मिलने वाले लाभ के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे- दुकान को कैंटीन में परिवर्तित होने से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि, उनके विक्रय में वृद्धि और अन्ततोगत्वा उनके आय में बेतहाशा वृद्धि होना सुनिश्चित है।



13. मौसम पूर्वानुमान

मौसम पूर्वानुमान किसी दिए गए स्थान और समय के लिए वातावरण की स्थितियों की भविष्यवाणी करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। लोग सहस्राब्दियों से अनौपचारिक रूप से तथा 19वीं शताब्दी से औपचारिक रूप से मौसम की भविष्यवाणी करने का प्रयास कर रहे हैं।



उपरोक्त पूर्ण क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र के कृषकों के हित में अपने कार्यों एवं दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन करना है जिससे की हमारे किसानों के क्षमता, मनोबल एवं उत्साह में विकास तथा जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हो इन सभी में आमूलचूल रूप से विकास कर पाए।

ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड एवं लाभ

ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अद्वितीय पहचान कार्ड होगा जिसे बनवाने के लिए किसानों को अपने आवश्यक दस्तावेज लेकर ई-अन्नदाता केयर सेंटर पर जाना होता है और ई-अन्नदाता केयर सेंटर किसान के समस्त आवश्यक दस्तावेज को जांच-परख कर ई-अन्नदाता पोर्टल के माध्यम से ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड के लिये पंजीकरण करता है एवं ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड बना कर किसान को देता है।

ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड के लिए योग्यता

- किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो।
- किसान के उस भूमि का राज्य के भूलेख में उसके भूस्वामी होने का विवरण उपलब्ध हो।
- किसान पूर्ण रूप से कृषि कार्य पर ही आश्रित हो।

ई-अन्नदाता कैंटीन के कार्ड से किसानों को लाभ

- किसान को उपयोगी सामानों के क्रय पर 50% तक की छूट का लाभ।
- अच्छी गुणवत्ता का सामान कम कीमत पर मिलना।
- आधुनिक खेती का प्रशिक्षण पाने तथा कुछ दशाओं में ऋण पाने का लाभ।
- इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर एवं फार्मर ग्रीवेन्स की सुविधा का लाभ।
- ई-अन्नदाता कैंटीन सुविधा का लाभ।
- दुर्घटना बीमा का लाभ।
- निःशुल्क व ऑनलाइन देश के बड़े व अत्याधुनिक विश्वसनीय व जाने-माने हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों से चिकित्सीय सलाह पाने का लाभ।

स्टेट पार्टनर

“स्टेट पार्टनर ई-अन्नदाता डिस्ट्रिक्ट पार्टनर और ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच के बीच की कड़ी है। कोई भी संगठन जैसे- एनजीओ, ट्रस्ट, फर्म, कम्पनी, सोसाइटी ई-अन्नदाता के स्टेट पार्टनर के रूप में काम कर सकता है। स्टेट पार्टनर उसी राज्य में कार्य करता है जिस राज्य में वह अपना पंजीकरण कराया होता है।”



स्टेट पार्टनर के लाभ

स्टेट पार्टनर के अंतर्गत सभी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के किए गए कार्यों का लाभ स्टेट पार्टनर को मिलता है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के अंतर्गत ई-अन्नदाता केयर सेंटर और ई-अन्नदाता कैंटीन, ई-अन्नदाता बाजार आदि के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का लाभ स्टेट पार्टनर को मिलता है तथा ई-अन्नदाता की जो भी सेवाएँ अपने राज्य में कराते हैं उसका भी 10-20% लाभ उन्हें प्राप्त होता है।



नोट- और अन्य लाभकारी योजना

स्टेट पार्टनर के कार्य

स्टेट पार्टनर को अपने राज्य के सभी जिलों में अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर, ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच तथा ई-अन्नदाता कैंटीन, ई-अन्नदाता बाजार आदि का पंजीकरण करना होता है तथा डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के माध्यम से ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर तक का कार्य करवाना होता है। स्टेट पार्टनर डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के माध्यम से किसानों को स्मार्ट खेती का प्रशिक्षण प्रदान करेगा और किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक करेगा और ई-अन्नदाता किसान सम्मान मेला और ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान, ई-अन्नदाता मंडी फसल प्रोत्साहन आदि कार्य किसानों के लिए प्रदान करेगा।

स्टेट पार्टनर के आवश्यक शर्तें

- NGO/Trust/Firm/Company/Society होना चाहिए।
- Aadhar Card
- कम्पनी पैन कार्ड

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर ई-अन्नदाता, स्टेट पार्टनर व ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच के बीच की कड़ी है। जो ई-अन्नदाता के नियमों के अनुसार काम करता है और किसानों को ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड की सुविधा दिलाने में मदद करता है।

कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, कम्पनी, सोसायटी, फर्म ई-अन्नदाता के डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के रूप में काम कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर चयनित जिले के ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर काम करता है।



डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के कार्य

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच, ई-अन्नदाता कैंटीन, ई-अन्नदाता बाजार आदि को पंजीकृत करता है, और ई-अन्नदाता के नियमों के अनुसार उनका सत्यापन भी पूरा करता है। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर ई-अन्नदाता केयर सेंटर के माध्यम से किसानों को स्मार्ट फार्मिंग (खेती) का प्रशिक्षण देगा, किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक करेगा और ई-अन्नदाता किसान सम्मान मेला और ई-अन्नदाता गरीबी उन्मूलन अभियान, ई-अन्नदाता मंडी फसल प्रोत्साहन आदि कार्य कराएगा। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के माध्यम से किसानों को ई-अन्नदाता की सभी सेवाएँ जैसे ई-अन्नदाता कार्ड, ई-अन्नदाता कैंटीन द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, दवाएँ, मशीनरी आदि के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाएँ आदि उपलब्ध होती हैं।

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के लाभ

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के अंतर्गत ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच द्वारा किए गए कार्यों का लाभ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को मिलता है, साथ ही ई-अन्नदाता केयर सेंटर और ई-अन्नदाता कैंटीन, ई-अन्नदाता बाजार आदि के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का लाभ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को मिलता है तथा ई-अन्नदाता के जो भी सेवाएँ अपने जिलों में कराते है उसका भी 10-20% लाभ उन्हें प्राप्त होता है।

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को 1.5 लाख-1.5 करोड़ तक लाभ पहुँचाना

- 01 ई-अन्नदाता कैंटीन को प्रोत्साहन करना
- 02 ई-अन्नदाता उत्पाद को बेचने के लिए प्रचार करना
- 03 ई-अन्नदाता केयर सेंटर का प्रबंधन करना
- 04 कैंटीन शुरू करने के लिए उत्साहित करना
- 05 चिकित्सा सुविधाओं में (5-15)% लाभ देना
- 06 स्मार्ट फॉर्मिंग (खेती) का प्रशिक्षण प्रदान करना
- 07 संवाददाता सेवा को बढ़ावा देना
- 08 जैविक खेती प्राकृतिक खेती प्रदान करना
- 09 किसानों पर आश्रित बेरोजगारों के लिए उद्यम स्थापना को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, ऋण, सब्सिडी आदि
- 10 बीमा सुविधाएं प्रदान करना

डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के आवश्यक शर्तें

- NGO/Trust/Firm/Company/Society होना चाहिए।
- Aadhar Card
- कम्पनी पैन कार्ड।

ई-अन्नदाता केयर सेंटर / सर्विस ब्रांच

यह किसानों की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में राष्ट्रहित व किसानहित के लिए प्रत्येक जिले के ग्राम सभा क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। जिससे कि संबंधित किसान अपने स्थानीय ब्लॉक/ग्राम सभा के ई-अन्नदाता सहायता केंद्र पर जाकर अपना अन्नदाता कैंटीन कार्ड के लिए पंजीकरण करवा के ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड बनवा सकेंगे तथा सभी सरकारी व गैर सरकारी जो कृषको के हित में हो वहां पर अवगत होकर लाभ उठा सकेंगे जिससे कि किसानों की जीवन दशा एवं दिशा में सुधार हो सके तथा वह अपने आप को किसान होने का गौरव महसूस कर सकेंगे। ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच ई-अन्नदाता के ग्राम स्तर पर कार्य करती है। कुछ ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच सीधे आते हैं और कुछ स्टेट पार्टनर व डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के माध्यम से आते हैं।




ई-अन्नदाता केयर सेंटर / सर्विस ब्रांच के कार्य

ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सेवा शाखा का मुख्य कार्य ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड बनाना और ई-अन्नदाता कैंटीन को अपने ब्लॉक में पंजीकृत करवाना है और पंजीकृत कैंटीन का सत्यापन भी करना होगा। भविष्य में ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच को पंजीकृत कैंटीनों को सामान उपलब्ध कराना होगा। जिसके माध्यम से किसानों को ई-अन्नदाता की सभी सेवाएँ जैसे ई-अन्नदाता कार्ड, ई-अन्नदाता कैंटीन द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, दवाएँ, मशीनरी आदि के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाएँ आदि उपलब्ध होती हैं।

ई-अन्नदाता केयर सेंटर / सर्विस ब्रांच के लाभ

ई-अन्नदाता कैंटीन कार्ड बनाने पर किसान 50 से 100 रुपये प्रति कार्ड के हिसाब से एक न्यूनतम धनराशि भुगतान करता है जिसमें कार्ड प्रिंटिंग, लेमिनेशन आदि का चार्ज शामिल होता है अर्थात् यदि सर्विस ब्रांच एक दिन में 100 कार्ड बनाता है और 50 रु० प्रिंटिंग चार्ज लेता है तो इस तरह वह $100 * 50 * 30 = 150000$ प्रति माह लाभ प्राप्त करता है तथा ई-अन्नदाता द्वारा सभी कार्यों को अपने ग्राम स्तर पर करता है तो अतिरिक्त लाभ भी मिलता है।

ई-अन्नदाता केयर सेंटर (सर्विस ब्रांच) के कार्य व लाभ



ई-अन्नदाता केयर सेंटर / सर्विस ब्रांच डालने की शर्तें

- आवेदक की आयु 18 वर्ष न्यूनतम हो।
- व्यक्ति उस ग्राम सभा का निवासी हो।
- व्यक्ति के पास अपना या किराये पर लिया हुआ ऑफिस (10 × 10 वर्ग फुट) हो जिसमें बिजली कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आदि चीजें व्यावस्थित हो।
- कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन आदि सभी मशीनरी हो जिससे कि कार्ड बनाने में बाधा ना आए।
- ई-अन्नदाता केयर सेंटर शुरू करने हेतु न्यूनतम लगने वाले सर्विस शुल्क मान्य होंगे।
- व्यक्ति के खुद के कार्यालय होने या किराये पर होने का प्रमाण पत्र होना चाहिये।

नोट:- कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, कम्पनी, सोसायटी, फर्म या कोई भी व्यक्ति ई-अन्नदाता केयर सेंटर/सर्विस ब्रांच के रूप में कार्य/पंजीकरण कर सकता है।

डिस्ट्रिक्ट एग्रो पार्टनर


डिस्ट्रिक्ट एग्रो पार्टनर जिला स्तर पर ई-अन्नदाता की एक ऐसी कड़ी है, जो किसानों को उनकी खेती के लिए ई-अन्नदाता द्वारा उत्पादित आवश्यक वस्तुएं जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराने में मदद करेगा। डिस्ट्रिक्ट एग्रो पार्टनर्स किसानों को उनकी खेती, फसल और उसकी सुरक्षा से जुड़े उपायों की जानकारी भी देंगे। डिस्ट्रिक्ट एग्रो पार्टनर का कार्य क्षेत्र उसके द्वारा निर्धारित पूरा जिला होगा। डिस्ट्रिक्ट एग्रो पार्टनर्स समय-समय पर किसानों को ई-अन्नदाता की सेवाएं भी अपडेट करते रहेंगे, ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें।



District Agro Partner

कैटीन

यह ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड से पंजीकृत दुकानें होती हैं जिनका उद्देश्य यह होता है कि समस्त किसान जिनका ई-अन्नदाता कैटीन कार्ड बना हुआ है उनको 50% तक की छूट पर किसानों के दैनिक, घरेलू व किसानों के कार्यों से संबंधित सामानों आदि पर कम किफायती व सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना जिससे कि किसान को लाभ मिले और उनकी आमदनी दोगुनी हो सके व उसका खर्च कम हो जाये। जो भी कैटीन ई-अन्नदाता से पंजीकृत होती हैं उन्हें अत्यधिक ग्राहक मिलते हैं तथा उनका पूरे भारत में प्रचार-प्रसार होता है और ब्रांड भी बनता है।



कैटीन के प्रकार

- ई-अन्नदाता कैटीन
- ई-अन्नदाता बाजार
- ई-अन्नदाता एग्री कैटीन (कृषि कार्य हेतु उपलब्ध सामान)
- ई-अन्नदाता मंडी

ई-अन्नदाता कैटीन

ई-अन्नदाता कैटीन ग्राम स्तर पर होते हैं जिससे कि किसान अपने नजदीकी ई-अन्नदाता कैटीन से ही सामानों का क्रय करता है।

ई-अन्नदाता कैटीन के लाभ

- बिक्री बढ़ेगा।
- विक्रय के लिए अत्यधिक ग्राहक मिलेंगे।
- ब्रांडिंग बढ़ेगा।
- ई-अन्नदाता के आधिकारिक वेबसाइट द्वारा आपकी ब्रांडिंग होती है और प्रचार-प्रसार होता है।

ई-अन्नदाता कैटीन की योग्यता

- व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- पंजीकृत दुकान होना चाहिए।
- GST शुल्क भरता हो।
- खुद का दुकान हो या किराए का हो, इसका पूर्ण विवरण स्वरूप प्रमाण हो।
- बिजली बिल भरे जाने का पुख्ता रिकॉर्ड हो।
- क्रय-विक्रय शक्ति 5 लाख रुपये तक हो जो न्यूनतम है।
- दुकान का क्षेत्रफल (12 × 12 वर्ग फुट) होना चाहिए।

ई-अन्नदाता बाजार

यह एक बड़ा मॉल होता है जिसमें प्रतिदिन 3000 लोग खरीदारी करते हैं यह जिला स्तर पर एक होता है इसके स्थापना के लिये अधिकतम निवेश शक्ति होना अनिवार्य है।।



ई-अन्नदाता बाजार के लिए योग्यता

- न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की क्रय विक्रय (टर्न ओवर) की शक्ति हो।
- पंजीकृत मॉल होना चाहिए।
- मॉल शुरू करने के लिए न्यूनतम 4 विस्वा(0.05016 हेक्टेयर) एरिया का मॉल हो, यह खुद का हो या किराए का इसका पुस्ता प्रमाण हो।
- बिजली कनेक्शन, वातानुकूलित रूम आदि की व्यवस्था होना चाहिए।
- बिजली बिल भरे जाने का प्रमाण होना चाहिए।
- आर्थिक क्षमता से परिपूर्ण हो।

ई-अन्नदाता बाजार के लाभ

- बिक्री बढ़ेगी
- प्रतिदिन लगभग 3000+ ग्राहक मिलेंगे।
- ब्रांडिंग बढ़ेगी
- ई-अन्नदाता के आधिकारिक वेबसाइट द्वारा आपकी ब्रांडिंग होती है और प्रचार-प्रसार होता है।

ई-अन्नदाता एग्री कैंटीन

यह उन सामानों की उपलब्धता के लिए बनाए जाएंगे जो कृषि कार्य संबंधी उपयोगी होगा जैसे- बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र एवं उपकरण जिससे कि किसानों को कम कीमत पर अच्छा व गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त हो सकेगा।

- आवश्यकता पड़ने पर ये सामान किसानों को उधार भी उपलब्ध हो सकेगा जिसका मूल्य वह बाद में भी चुका सकेगा जिससे कि उसको कृषि कार्य करने में कोई बाधा या कोई भी समस्या न आये क्योंकि ज्यादातर किसानों को आर्थिक संकटों का ही सामना करना पड़ता है जिससे किसान बहुत ही हताश निराश रहता है और उसका कृषि कार्य भी प्रभावित होता है जैसे- उचित समय पर उपयुक्त बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्र एवं उपकरण सामग्री का न खरीद पाना आदि।
- ऐसे समस्त समस्याओं का समाधान ई-अन्नदाता ने निकाल लिया है जिससे अब भारत का हर किसान खुशहाली पूर्वक, निश्चित होकर कृषि कार्य को सम्पन्न करेगा और जिससे भारत में कृषि की प्रधानता हमेशा बनी रहेगी और भारत को कृषि संबंधी किसी भी उत्पाद के लिए अन्य देशों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।

ई-अन्नदाता एग्री कैंटीन के लिए योग्यता

- आर्थिक निवेश की क्षमता न्यूनतम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए जिसमें से 4 लाख रुपए का सामान उपलब्ध कराया जाता है तथा 1 लाख रुपए सुरक्षा राशि के रूप में जमा कर ली जाती है।
- दुकान का पंजीकरण पत्र व दुकान का फोटो होना अनिवार्य है।
- ई-अन्नदाता कैंटीन शुरू करने के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल (20 × 20 वर्ग फुट) युक्त दुकान होना चाहिए जिसमें कि सामान सुव्यवस्थित तरीके से रखा जा सके व क्रय-विक्रय हो सके।
- दुकानदार की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- दुकान का बिजली बिल दिये जाने का प्रमाण हो।
- दुकान किराये का हो या स्वयं का इस बात का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ई-अन्नदाता एग्री कैंटीन के लाभ

- अगर कोई व्यक्ति ई-अन्नदाता कैंटीन शुरू करता है तो उसको बहुत सारा लाभ प्राप्त होते हैं जैसे- रोज ज्यादा मात्रा में किसानों का ई-अन्नदाता एग्री कैंटीन पर आना तथा कृषि संबंधी सामान एवं औजारों व मशीन आदि खरीदना जिससे कि सामानों की रोज बिक्री होती रहे।
- व्यक्ति को सामान आदि विक्रय करने के लिए अपने ई-अन्नदाता कैंटीन का कोई ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रचार-प्रसार इंटरनेट व ई-अन्नदाता साईट के माध्यम से पूरे भारत में ही हो रहा है जिससे कि कैंटीन का पूरे देश भर में नाम एवं पहचान होगा।
- कम समय में व कम इंतजार में ही तेजी से बिक्री होगा जिससे कैंटीन की आय दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा।
- निःसंदेह आने वाले समय में ई-अन्नदाता एग्री कैंटीन के सामानों की गुणवत्ता पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा।
- इस प्रकार हम अपने सामानों को भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी आसानी से विक्रय कर सकेंगे।

ई-अन्नदाता कैंटीन में उपलब्ध वस्तुएं

घरेलू उपयोग की वस्तुएं एवं उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसान कार्य संबंधी खाद बीज कीटनाशक दवाएं, कृषि मशीनरी एवं यंत्र, सौंदर्य प्रसाधन के समान, हार्डवेयर के समान, फर्नीचर के समान, स्टेशनरी के समान इत्यादि और भी बहुत कुछ ई-अन्नदाता कैंटीन के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा।

निष्कर्ष : ई-अन्नदाता टीम भारतीय किसान एवं उनके विकास व कल्याण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित तथा संकल्पित है जिससे कि हमारा किसान जीवन के हर क्षेत्र में आमूलचूल रूप से विकास करें।



कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक, कानूनी, संरचनात्मक, उत्पादन और आपूर्ति सेटअप में पर्याप्त परिवर्तन के साथ-साथ बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रक्रिया से गुजर रहा है जैसा कि अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्र में होता है और देश को विकसित बनाने के लिए राष्ट्र के किसान कल्याण व खेती का विकास करना अनिवार्य है क्योंकि देश की अधिकतम आबादी (लगभग 55-60%) कृषि पर ही आश्रित है अर्थात् जब तक किसान व कृषि का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास उचित ढंग से हो पाना संभव नहीं है इसलिए कृषि कार्य में लगे हुए अन्नदाता पर पूर्ण रूप से ध्यान देना कृषि का आधुनिकरण व किसान के कल्याण एवं विकास हेतु विशेष रूप से कर्तव्य परायणता के साथ कृत संकल्पित होकर ई-अन्नदाता को पार्टनर्स के साथ मिलकर कार्य करना है जिससे आने वाले समय में (15 अगस्त 2047 तक) देश के सभी किसानों को स्वयं के किसान होने पर गौरवान्वित महसूस करेंगे।

